न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल वाद संख्या 29 / 2020 (102 / 2007)
जीसीएमएस नम्बर–2020 / 00057

उनवान

1. कालुलाल पारीक आत्मज स्व० श्री रामकरण जी पारीक निवासी पुर तह व जिता भीलवाडा (राज.)
2. श्रीमति गलकु देवी पारीक पत्नि स्वः श्री रामकरण जी पारीक निवासी पुर तह० व जिला भीलवाडा (राज) (मृतका दौराने दावा नाम हज्फ)
3. श्रीमति रिद्धी देवी पत्नि श्री श्यामसुन्दर जी पण्डित निवासी 163, केम्प, सदर बाजार अहमदाबाद (गुजरात)
4. श्रीमति रतन देवी पत्नि श्री रमेशचन्द पुरोहित निवासी ग्राम भाणपी पोस्ट सांडास तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ़ (राज)
5. श्रीगति मंजू देवी पत्नि श्री कृष्णगोपाल जी पारीक निवासी सुख सागर सुभाष नगर स्कूल के सामने, सुभाष नगर, भीलवाडा तह० व जिला भीलवाड़ा।
6. श्रीमति हर्षा पारीक पत्नि श्री सत्यनारायण पारीक निवासी के ओ रामप्रसाद जी पारीक, एडवोकेट, पुराने मतस्य विभाग के पास, सुभाष नगर, भीलवाडा (राज)

—— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश महोदय, भीलवाडा (राजः)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाडा (राज)

—— प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

अर्न्तगत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित–

1. श्री के०जी० शर्मा अभिभाषक वादी।

2. सरकारी पैरोकार सरकार की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांक :– 15/5/25

15/5/25

सहायक कलक्टर
भीलवाडा

वादी ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 13.04.2007 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष एक दावा बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया जो दिनांक 19.04.2007 को वाद संख्या 102/2007 बउनवानी कालुलाल वगैरह बनाम राजस्थान सरकार वगैरह दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात पत्रावली इस न्यायालय को सुनवाई व निस्तारण हेतु प्राप्त होने पर विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने अपने याद पत्र में इस आशय का कथन किया कि ग्राम पुर तह व जिला भीलवाड़ा के बैरुन हल्के में साबिक आराजी नं. 2837 रकबा 02 बीघा 9 बिस्वा, आराजी नम्बर 2838 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 2839 रकबा 09 बीघा 08 बिस्वा अवस्थित है जिसके हाल आराजी नम्बर 8920 रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा कायम हुए।

उक्त साबिक नम्बरान की आराजी तत्कालीन खातेदार काना उर्फ किशना वल्द धन्ना धोबी निवासी पुर के नाम दर्ज रेकॉर्ड थी तथा श्री काना उर्फ किशना बल्द धन्ना धोबी उक्त साबिक नम्बरान की आराजी का तन्हा काश्तकार था जिसे उक्त आराजियात को रहन बय बक्षीश करने हेतु अधिकार प्राप्त था तथा वर्ष 1954 तत्समय सम्वत् 2010 में उक्त साबिक नम्बरान की आराजियात श्री मांगु आत्मज श्री किशोर धोबी निवासी पुर के यहाँ 27/– रूपये अक्षरे सताईस रूपये में रहन, मुर्दबिल काबिज थी।

काना उर्फ किशना वल्द धन्ना धोबी ने उक्त साबिक नम्बरान की आराजी को सावन की बुद्ध चौथ सम्वत् 2010 वार गुरुवार तद्नुसार तारीख 30–07–1954 को विक्रय मूल्य रूपये 95/–अक्षरे पिच्यानवे रुपये में वादीगण के स्व० पिता/पति श्री रामकरण जी वल्द जगन्नाथ जी पारीक को विक्रय कर बापी हक से विक्रय कर दी तथा विक्रयपत्र में यह शर्त भी तय हुई की कुलिया विक्रय मूल्य रूपये 95/– अक्षरे पिच्यानवे रूपये में से रुपये 27/– अक्षरे सताईस रूपये तत्समय रहन, मुर्द बिल कब्ज श्री मांगु वल्द किशोर धोबी को रहन राशि अदा करनी थी तथा विक्रय मूल्य की बकाया राशि रुपये 68/– अक्षरे अड़सठ रुपये काना उर्फ किशना वल्द धन्ना धोबी को सप्रतिफल अदा करने थे जो मुताबिक शर्त कर दिये गये थे तथा उक्त आराजियात का विकयपत्र वादीगण के पिता/पति स्व० रामकरण जी पारीक के पक्ष में निष्पादित किया गया तथा खरीद दिनांक से ही उक्त साबिक नम्बरान की आराजियात रहन से बागुजाश्त होकर वादीगण के पिता/पति का कब्जा कायम हुआ यानि कि दिनांक 30–07–1954 से उक्त साबिक उक्त नम्बरान की आराजियात पर वादीगण के पिता/पति तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण का बतौर वारिस स्व० रामकरण जी की हैसियत से निरन्तर अबाध्य तौर पर कब्जा काश्त चला आ रहा है।

श्री काना उर्फ किशना धोबी का भी देहावसान आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व हो चुका है तथा वर्तमान में उनके कोई कानूनी वारिस भी जीवित नहीं है तथा रामकरण जी का भी देहावसान आज से करीब आठ वर्ष पूर्व सन् 1998 उन्नीस सौ अठ्यानवे को हो गया।

वर्तमान में उक्त साबिक नम्बरान की आराजियात जिसके हाल आराजी नम्बर 8920 आठ हजार नौ सौ बीस माली कागजात में काना उर्फ किशना धोबी के नाम पर दर्ज है जबकि उपरोक्त आराजियात पर दिनाक 30–07–1954 तीस जुलाई उन्नीस सौ चौपन से ही काना का इस भूमि पर कब्जा काश्त कभी नहीं रहा तथा विक्रय के बाद भी काना 10–12 दस–बारह वर्ष जीवित रहा। इस तरह स्वयं काना के जीवनकाल में एवं अन्य ग्रामवासियान वादीगण के पिता/पति एवं उनकी मृत्यु के बाद वादीगण को ही खातेदार

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा
15/9/12

काश्तकार होना जानते है व मानते चले आ रहे है किन्तु राजस्व रेकॉर्ड में उक्त आराजियात स्व० श्री काना धोबी के ही नाम दर्ज रह गई तत्समय विक्रयपत्र के पक्षकारान के मध्य सद् भावना एवं ग्रामीण परिवेश होने के कारण तथा काना के लाऔलाद फौत हो जाने से उपरोक्त विक्रयपत्र के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में रद्दोबदल नहीं हो पाया तथा ग्रामीण परिवेश होने से भूमि पर कब्जा कायम हो जाना ही विक्रयपत्र की पालना माना जाता रहा। इस कारण भी उक्त आराजियात तत्समय वादीगण के पिता/पति के नाम पर नहीं करवाई जा सकी किन्तु अभी हाल ही में वादीगण द्वारा बैंक, वित्तिय संस्थान से ऋण लेने की महत्ति आवश्यकता हुई तो उक्त आराजी की जमाबन्दी दिनांक 27–09–2006 सताईस सितम्बर दो हजार छ को निकलवाई तो जात हुआ की उपरोक्त आराजियात अभी तक काना के नाम से ही दर्ज चली आ रही है।

दिनांक 30–07–1954 तीस जुलाई उन्नीस सौ चौपन्न से उपरोक्त साबिक नम्बरान की आराजियात को मेरे वादीगण के पिता/पति स्व० श्री रामकरण जी पारीक ने सप्रतिफल अदा कर खरीद की तथा खरीद दिनांक से ही उपरोक्त आराजी पर स्वामित्व एवं आधिपत्य कायम होकर चला आ रहा है किन्तु राजस्व रेकॉर्ड में उक्त आराजियात काना उर्फ किशना के नाम दर्ज होने से वादीगण के हक व अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पड़ने की पूर्ण आशंका है। इस कारण उक्त साबिक नम्बरान की हाल आराजी नम्बर 8920 आठ हजार नौ सौ बीस को वादीगण के नाम राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज किया जाना कानूनन अति आवश्यक हो गया है तथा वादीगण के पक्ष में उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार होने की घोषणा सार्वभौमिक तौर पर करवाया जाना अति आवश्यक है। राजस्व रेकॉर्ड मृत्तक काना उर्फ किशना के नाम दर्ज रेकॉर्ड होने से वादीगण वित्तिय संस्थान से ऋण लेने से महरूम हो रहे है तथा निकट भविष्य में उक्त इन्द्राज से वादीगण के हक व अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका है, जबकि वादीगण के पिता वर्ष 1954 से उनके जीवनकाल में वो काबिज रहे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। इस प्रकार वादीगण उपरोक्त आराजी के खातेदार काश्तकार है तथा उक्त आशय की घोषणा कराने के अधिकारी है एवं इस बाबत् राजस्व रेकॉर्ड में अंकन कराने के अधिकारी है।

वर्तमान समय में हाल आराजी संख्या 8920 के चारो तरफ डोल लगा हुआ होकर थोर लगे हुए है तथा खरीद दिनाक के बाद से उक्त भूमि को काबिल काश्त वादीगण द्वारा काफी शारीरिक श्रम व अर्थ खर्च करके बनाया है लेकिन माली कागजात ने उपरोक्त आराजियात वादीगण के नाम पर दर्ज नहीं होने से माह अक्टूबर 2006 में वादीगण ने पटवार हल्का से अपने खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 8920 आठ हजार नौ सौ बीस की नकल हेतु आवेदन किया गया तो पटवार हल्का पुर द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यो के बारे में जानकारी दी व वादीगण को यह भी धमकी दी गई की वादीगण उक्त आराजी पर बिना किसी हक व अधिकार के काबिज है जिसे हटवाये जाने की कार्यवाही की जायेगी इससे वादीगण को यह आशंका उत्पन्न हो गई है कि प्रतिवादीगण अपने प्रशासनिक शक्ति बल पर किसी भी समय वादीगण को बेदखल कर विवादग्रस्त आराजियात में निहीत खातेदारी हक व अधिकारों से महरूम कर देंगे जिससे वादीगण को अत्यधिक कठिनाई होगी तथा वाद में जटिलता उत्पन्न हो जायेगी व कई वादो का जन्म होगा इस कारण से वादीगण के लिए यह अतिआवश्यक हो गया है कि विवादग्रस्त आराजी से वादीगण को बेदखल नहीं करने एवं उनके कब्जे काश्त में बाधा व हस्तक्षेप उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा पारित किया जाना अतिआवश्यक है।

15/11/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मुताबिक विक्रयपत्र दिनांक 30–07–1054 से वादीगण के पिता/पति जब तक वी जीवित रहे तथा उनके सौ वर्ष के बाद हाल आराजी संख्या 8920 आठ हजार नौ सौ बीस रकबा 09 नौ बीघा 18 अठारह बिस्वा पर अबाध्य एवं निरन्तर तौर पर काबिज चले आ रहे है तथा उक्त आधिपत्य तत्कालीन खातेदार काना उर्फ किशना वन्द धन्ना धोबी के पूर्ण जान में था तथा श्री काना वल्द धन्ना धोबी द्वारा विक्रय करने के पश्चात् भी काना लगभग दस वर्ष तक जिन्दा रहे किन्तु स्व० श्री काना ने चूंकि उनके द्वारा विक्रय कर दिये जाने से वादीगण के आधिपत्य बाबत् कभी कोई ऐतराज नहीं किया। इस प्रकार उक्त आराजी पर वादीगण का विगत काफी समय से यानि की बीस वर्ष से भी अधिक समयावधि से कब्जा चला आ रहा है। अतः कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी हो गए है।

प्रस्तुत वाद से पूर्व प्रतिवादीगण को वादीगण के खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती हेतु वादीगण द्वारा विधिवत दो माह का नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सि.प्र. सं. दिनांक 01–11–2006 एक नवम्बर दो हजार छः को प्रेषित किया गया जो कि प्रतिवादीगण को दिनांक 03–11–2006 तीन नवम्बर दो हजार छः को प्राप्त हो चुका है किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा नोटिस पर अन्दर अवधि दो माह में कोई अमल नहीं करने से बाद प्रस्तुत करने की नौबत पेश हुई है।

कारण वाद माह अक्टूबर 2006 एवं दिनांक 01–11–2006 एवं दिवा 03–11–2006 व इसके बाद दो माह यानि की दिनांक 03–01–2007 तीन जनवरी दो हजार सात से उत्पन्न होकर निख्तर जारी है।

विवादग्रस्त आराजीयात ग्राम पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित है तथा भीलवाड़ा तहसील का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् को प्राप्त होने से प्रस्तुत वाद न्यायालय श्रीमान के समायत व क्षेत्राधिकार का होने से यहाँ पेश है।

वादपत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है। वादपत्र उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः वादीगण सादर प्रार्थी है कि (1) कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय की की घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण पारित फरमाई जावे कि ग्राम पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा की हाल आराजी संख्या 8920 रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा के वादीगण खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रेकॉर्ड में उक्त आशय का इन्दाज कराया जाकर राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त फरमाया जावे।

कि (2) कि स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण पारित फरमाई जावे की हाल आराजी सख्या 8920 रकबा 09 बीधा 18 अठारह बिस्वा से बेदखल न तो करे न करावे तथा कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत या बाधा या व्यवधान उत्पन्न न करे एव न किसी अन्य से करावे।

(3) कि दौराने वाद प्रतिवादीगण वादीगण को हाल आराजी संख्या 8920 से अथवा उसके किसी भू–भाग से बिना किसी हक व अधिकार के बेदखल कर दे तो पुनः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध कब्जेयाबी की डिक्री फरमाई जावे।

वादीगण की ओर से वाद पत्र का सत्यापन किया गया तथा बाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया गया।

15/1/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय द्वारा दिनांक 19.04.2007 को बाद संख्या 102/2007 बउनवानी कालुलाल वगैरह बनाम राज० सरकार वगैरह दर्ज रजिस्टर/प्रतिवादीगण को जरिये तलबाना तलब करने के आदेश पारित किये गये। दिनांक 11.05.2007 को सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। दिनांक 26.06.2007 को जवाब हेतु अन्तिम अवसर दिया गया। दिनांक 31.07.2007 को प्रतिवादीगण की ओर से जवाब पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया।

प्रतिवादीगण की ओर से तहसीलदार, भीलवाड़ा ने अपने जवाबदावा में इस आशय का कथन किया कि उक्त आराजीयात वादी अनुसार भी किशना वल्द धन्ना धोबी निवासी पुर के नाम दर्ज रिकार्ड थी जो कि अनुसूचित जन जाति का सदस्य था। रहन भी मांगु पि० किशोर धोबी निवासी पुर ने अनु० जाति के की। अनुसूचित जाति की जमीन का विक्रय सामान्य वर्ग के व्यक्ति को किया गया है। विक्रय नामा की मान्यता स्वंय वादी सिद्ध करावे। उक्त आराजीतयात का कब्जा बादी का, वादी स्वंय सिद्ध करावे। वारिसान नहीं होने बाबत् वादी स्वंय सबूत पेश करे। आराजी नम्बर 8920 रकबा 9.18 बीघा काना उर्फ किशना धोबी खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिस पर किसी भी स्वर्ण जाति का कब्जा भी नाजायज ही है। अतः नाऔलाद फौत होने के कारण उक्त आराजी को बिलानाम सरकार दर्ज करने का आदेश फरमावे। बादी को धारा 212 से पाबन्द कर किसी प्रकार यो हस्तक्षेप नहीं करने हेतु पांबन्द किया जाये। वादी द्वारा पेश लगान रसीद भी काना उर्फ किशना वल्द धन्ना धोबी के नाम ही है, जिससे यह कहीं भी जाहिर नहीं होता है कि वादी द्वारा कोई लगान भुगतान किया गया। अतः श्रीमान् जी वाद खारिज कर आ०नं० 8920 रकबा 9-18 बीघा जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति की थी व उसके नाऔलाद फौत होने के कारण बिलानाम दर्ज करने की स्वीकृति करावे।

दिनांक 02.03.2010 को पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनो के आधार पर निम्नलिखित **तनकीयात** कायम की गई–

1– आया वादी ग्राम पुर तहसील भीलवाड़ा की साबिक आराजी नम्बर 2837, 2838, 2839 के हाल आराजी नम्बर 8920 कायम हुए ? – **जिम्मे वादीगण**

2–आया वादीगण के पिताजीध्पति ने साबिक नम्बर से सावन बुद्ध चौथ संवत् 2010 शुक्रवार को उक्त आराजी तादादी 95/– रूपये में क्रय कर कब्जा काश्त बतौर खातेदार तत्कालीन खातेदार काना उर्फ किशना धोबी से प्राप्त किया व इस आशय की घोषणा की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है? –– **जिम्मे वादीगण**

3–आया उक्त आराजी श्री रामकरण (पिताध्पति वादीगण) ने मांगु पिता श्री किशोर को रहन की राशि अदा कर रहनमुक्त करवाई व वादीगण अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है? –– **जिम्मे वादीगण**

4–आया वादीगण ने अर्थ व शारीरिक श्रम व्यय कर उक्त आराजी को काबिल काश्त बनाया? –– **जिम्मे वादीगण**

5–आया अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा किया गया विक्रय अवैध है? – **जिम्मे प्रतिवादी**

6– दादरसी क्या होगी ?

15/5/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

दिनांक 18.05.2011 को वादी संख्या 2 की मृत्यु होने के संबंध में प्रार्थना पत्र पेश किया गया। दिनांक 17.09.2019 को वादीगण का वाद अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज करने का आदेश पारित किया गया। दिनांक 10.09.2020 को वादी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 25/2019 अर्न्तगत आदेश 9 नियम 9 व धारा 151 जाप्ता दीवानी दिनांक 09.09.2020 को स्वीकार किये जाने पर वाद को पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 07.01.2022 को वादीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि मृतका वादी संख्या 2 के वारिसान पूर्व से ही वादी संख्या 3 लगायत 6 के रूप में अभिलेख पर मौजूद है इसलिये वादी संख्या 2 मृतका श्रीमती गलकू देवी का नाम डिलिट किया जाये। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी संख्या 2 मृतका गलकूदेवी का नाम हिलिट करने के आदेश पारित किये गये।

दिनांक 25.02.2022 को वादीगण की ओर से साक्ष्य के शपथपत्र प्रस्तुत किये गये। वादीगण ने मौखिक साक्ष्य में पी०डब्ल्यु–1 कालूलाल उर्फ कालूराम पारीक आत्मज स्व० रामकरण पारीक, पी०डब्ल्यु–2 कैलाशचन्द रेवाल पुत्र भैरूलाल रेवाल को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजात् प्रदर्शित करवाये गये–

प्रदर्श–1 बैचान पत्र दिनांकित 30.07.1954

प्रदर्श–2 जमाबन्दी संवत् 2014 से 2017 की प्रमाणित प्रतिलिपि जो कि काना पुत्र धन्ना धोबी के नाम की है।

प्रदर्श–3 सैटलमेण्ट विभाग द्वारा जारी खसरा मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रदर्श–4 जमाबन्दी संवत् 2061 से 2064 की प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रदर्श–5 विधिक नोटिस दिनांकित 01.11.2006 की प्रति।

प्रदर्श–6 पोस्टल रसीद दिनांकित 01.11.2006 बाबत् जिलाधीश, भीलवाड़ा असल।

प्रदर्श–7 पोस्टल रसीद दिनांकित 01.11.2006 बाबत् तहसीलदार, भीलवाड़ा असल।

प्रदर्श–8 पोस्टल पावती रसीद दिनांकित 03.11.2006 असल

प्रदर्श–9 पोस्टल पावती रसीद दिनांकित 03.11.2006 असल

प्रदर्श–10 मृत्यु प्रमाण पत्र मृतक रामकरण शर्मा (पारीक)

प्रदर्श–11 लगायत 13 लगान जमा कराने की रसीदात असल प्रदर्शित करवाये गये। प्रदर्श–3 का कोई प्रदर्शित दस्तावेज पत्रावली में संलग्न नहीं है।

प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में हल्का पटवारी पुर गिरिराज पुत्र जोलरीलाल का शपथ पत्र बतौर साक्ष्य पेश किया गया तथा उक्त गवाह को परीक्षित करवाया गया। प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श ए–1 जमाबन्दी संवत् 1985 खाता नम्बर 378 ग्राम पुर खसरा नम्बर 2837, 2838, 2839 कुल किता 3 कुल रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्शित करवाई गई।

दिनांक 16.05.2022 को वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत् शीघ्र सुनवाई हेतु पेश किया गया। दिनांक 08.07.2022 को वादी साक्ष्य कालुलाल पारीक पी०डब्ल्यु–1 का मुख्य परीक्षण करवाया गया। दिनांक 09.09.2022 को वादीगण की साक्ष्य पी०डब्ल्यु 2 का मुख्य परीक्षण करवाया जाकर दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये। वादीगण द्वारा अन्य गवाह पेश नहीं करना चाहने पर साक्ष्य वादी बन्द की गई।

15/9/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

दिनांक 02.01.2025 को आदेश पारित किया गया कि पत्रावली में आदेशिका दिनांक 09.09.2022 को पत्रावली साक्ष्य वादी से अन्तिम बहस में नियत की गई थी जबकि पत्रावली साक्ष्य वादी से साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की जानी थी। जबकि सहवन से पत्रावली में साक्ष्य वादी से अन्तिम बहस में नियत कर दी गई थी। अतः विधिक रूप से प्रतिवादी को साक्ष्य का अवसर दिये जाने हेतु पत्रावली दिनांक 15.01.2025 को पेश हो।

दिनांक 04.03.2025 को पैरोकार सरकार द्वारा शपथ पत्र वारते प्रतिवादी साक्ष्य पेश किया गया। दिनांक 20.03.2025 को पैरोकार सरकार द्वारा आदेश 8 नियम 1 ए(3) जा०दी० का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज वादग्रस्त भूमि की संवत् 1995 की जमाबन्दी होने से वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु सहमति व्यक्त की गई। प्रतिवादी अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी पेश की गई। साक्ष्य प्रतिवादी में बयान कराये गये। प्रतिवादी द्वारा अन्य साक्ष्य पेश नहीं किये जाने पर पत्रावली में आगामी पेशी वास्ते अन्तिम बहस नियत की गई।

उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादीगण की ओर से अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए तथा प्रदर्श–1 लगायत प्रदर्श–13 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि वादीगण का दावा बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को ग्राम पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा की हात आराजी संख्या 8920 रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रेकॉर्ड में उक्त आशय का इन्दाज कराया जाकर राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त फरमाया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण पारित फरमाई जावे की हाल आराजी संख्या 8920 रकबा 09 बीघा 18 अठारह बिस्वा से बेदखल न तो करे न करावे तथा कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत या बाधा या व्यवधान उत्पन्न न करे एव न किसी अन्य से करावे तथा दौराने वाद प्रतिवादीगण वादीगण को हाल आराजी संख्या 8920 से अथवा उसके किसी भू–भाग से बिना किसी हक व अधिकार के बेदखल कर दे तो पुनः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध कब्जेयाबी की डिक्री फरमाई जावे। वादीगण की ओर से न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये जिनका सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया।

विद्वान सरकारी पैरोकार द्वारा वादीगण के विद्वान अभिभाषक के तर्को का पुरजौर विरोध करते हुए अपने जवाब दावा में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए एंव दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यो के आधार पर वादीगण का दावा खारिज करने का निवेदन किया गया।

हमने बहस पर चिन्तन, मनन व विचार किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो, मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार तनकीवार विवेचन व विश्लेषण किया जाने की विधिक एंव न्यायिक मंशा है।

तनकी नम्बर–1 आया वादी ग्राम पुर तहसील भीलवाड़ा की साबिक आराजी नम्बर 2837, 2838, 2839 के हाल आराजी नम्बर 8920 कायम हुए?

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण के जिम्मे रखा गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–2 सैटलमेण्ट विभाग द्वारा जारी खसरा मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपि है जिसमें राजस्व ग्राम पुर के साबिक खसरा नम्बर 2837, 2838, 2839 के हाल आराजी नम्बर 8920 कायम होना प्रमाणित है। प्रदर्श–2 दस्तावेजी साक्ष्य से वादीगण उक्त तनकी को साबित करने में पूर्णतया सफल रहे है इसलिये उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

12/3/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

तनकी नम्बर–2 आया बादीगण के पिताजी/पति ने साबिक नम्बर से सावन बुद्ध चौथ संवत् 2010 शुक्रवार को उक्त आराजी तादादी 95/– रूपये में क्रय कर कब्जा काश्त बतौर खातेदार तत्कालीन खातेदार काना उर्फ किशना धोबी से प्राप्त किया व इस आशय की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है?

तनकी नम्बर– 3 आया उक्त आराजी श्री रामकरण (पिता/पति वादीगण) ये मांगु पिता श्री किशोर को रहन की राशि अदा कर रहनमुक्त करवाई व वादीगण अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है?

तनकी नम्बर– 4 आया वादीगण ने अर्थ व शारीरिक श्रम व्यय कर उक्त आराजी को काबिल काश्त बनाया?

तनकी नम्बर–5 आया अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा किया गया विक्रय अवैध है?

उपरोक्त वर्णित तनकी नम्बर 2, 3 व 4 को साबित करने का भार वादीगण के जिम्मे रखा गया है तथा तनकी नम्बर–5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे रखा गया है। तथ्यो की पुनरावृति पर अंकुश लगाने के आशय से उक्त वर्णित तनकीयात पर एकसाथ विवेचन व विश्लेषण किया जा रहा है।

वादीगण ने उक्त तनकीयात के संबंध में अपने वाद पत्र स्पष्ट कथन किया कि ग्राम पुर तह० व जिला भीलवाड़ा के बैरुन हल्के में साबिक आराजी नं. 2837 रकबा 02 बीघा 9 बिस्वा, आराजी नम्बर 2838 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 2839 रकबा 09 बीघा 08 बिस्वा अवस्थित है जिसके हाल आराजी नम्बर 8920 रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा कायम हुए।

उक्त साबिक नम्बरान की आराजी तत्कालीन खातेदार काना उर्फ किशना वल्द धन्ना धोबी निवासी पुर के नाम दर्ज रेकॉर्ड थी तथा श्री काना उर्फ किशना बल्द धन्ना धोबी उक्त साबिक नम्बरान की आराजी का तन्हा काश्तकार था जिसे उक्त आराजियात को रहन बय बक्षीश करने हेतु अधिकार प्राप्त था तथा वर्ष 1954 तत्समय सम्वत् 2010 में उक्त साबिक नम्बरान की आराजियात श्री मांगु आत्मज श्री किशोर धोबी निवासी पुर के यहाँ 27/– रुपये अक्षरे सताईस रुपये में रहन, मुर्दविल काबिज थी।

काना उर्फ किशना वल्द धन्ना धोबी ने उक्त साबिक नम्बरान की आराजी को सावन की बुद्ध चौथ सम्वत् 2010 वार गुरुवार तद्नुसार तारीख 30–07–1954 को विक्रय मूल्य रूपये 95/–अक्षरे पिच्यानवे रूपये में वादीगण के स्व० पिता/पति श्री रामकरण जी वल्द जगन्नाथ जी पारीक को विक्रय कर बापी हक से विक्रय कर दी तथा विक्रयपत्र में यह शर्त भी तय हुई की कुलिया विक्रय मूल्य रूपये 95/– अक्षरे पिच्यानवे रूपये में से रुपये 27/– अक्षरे सताईस रुपये तत्समय रहन, मुर्द बिल कब्ज श्री मांगु वल्द किशोर धोबी को रहन राशि अदा करनी थी तथा विक्रय मूल्य की बकाया राशि रूपये 68/– अक्षरे अड़सठ रुपये काना उर्फ किशना वल्द धन्ना धोबी को सप्रतिफल अदा करने थे जो मुताबिक शर्त कर दिये गये थे तथा उक्त आराजियात का विकयपत्र वादीगण के पिता/पति स्व० रामकरण जी पारीक के पक्ष में निष्पादित किया गया तथा खरीद दिनांक से ही उक्त साबिक नम्बरान की आराजियात रहन से वागुजास्त होकर वादीगण के पिता/पति का कब्जा कायम हुआ यानि कि दिनांक 30–07–1954 से उक्त साबिक नम्बरान की आराजियात पर वादीगण के पिता/पति तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण का बतौर वारिस स्व० रामकरण जी की हैसियत से निरन्तर अबाध्य तौर पर कब्जा काश्त चला आ रहा है।

15/5/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

श्री काना उर्फ किशना धोबी का भी देहावसान आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व हो चुका है तथा वर्तमान में उनके कोई कानूनी वारिस भी जीवित नहीं है तथा रामकरण जी का भी देहावसान आज से करीब आठ वर्ष पूर्व सन् 1998 उन्नीस सौ अठ्यानवे को हो गया।

वर्तमान में उक्त साबिक नम्बरान की आराजियात जिसके हाल आराजी नम्बर 8920 आठ हजार नौ सौ बीस माली कागजात में काना उर्फ किशना धोबी के नाम पर दर्ज है जबकि उपरोक्त आराजियात पर दिनाक 30–07–1954 तीस जुलाई उन्नीस सी चौपन से ही काना का इस भूमि पर कब्जा काश्त कभी नहीं रहा तथा विक्रय के बाद भी काना 10–12 दस–बारह वर्ष जीवित रहा। इस तरह स्वयं काना के जीवनकाल में एवं अन्य ग्रामवासियान वादीगण के पिताश्पति एवं उनकी मृत्यु के बाद वादीगण को ही खातेदार काश्तकार होना जानते है व मानते चले आ रहे है किन्तु राजस्व रेकॉर्ड में उक्त आराजियात स्व० श्री काना धोबी के ही नाम दर्ज रह गई तत्समय विक्रयपत्र के पक्षकारान के नध्य सद्भावना एवं ग्रामीण परिवेश होने के कारण तथा काना के लाऔताद फौत हो जाने से उपरोक्त विक्रयपत्र के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में रद्धोबदल नहीं हो पाया तथा ग्रामीण परिवेश होने से भूमि पर कब्जा कायम हो जाना ही विक्रयपत्र की पालना माना जाता रहा। इस कारण भी उक्त आराजियात तत्समय वादीगण के पिताश्पति के नाम पर नहीं करवाई जा सकी किन्तु अभी हाल ही में वादीगण द्वारा बैंक वित्तिय संस्थान से ऋण लेने की महत्ति आवश्यकता हुई तो उक्त आराजी की जमाबन्दी दिनांक 27–09–2006 सताईस सितम्बर दो हजार छ को निकलवाई तो जात हुआ की उपरोक्त आराजियात अभी तक काना के नाम से ही दर्ज चली आ रही है।

दिनांक 30–07–1954 तीस जुलाई उन्नीस सौ चौपन से उपरोक्त साबिक नम्बरान की आराजियात को वादीगण के पिता/पति स्व० श्री रामकरण जी पारीक ने सप्रतिफल अदा कर खरीद की तथा खरीद दिनांक से ही उपरोक्त आराजी पर स्वामित्व एवं आधिपत्य कायम होकर चला आ रहा है किन्तु राजस्व रेकॉर्ड में उक्त आराजियात काना उर्फ किशना के नाम दर्ज होने से वादीगण के हक व अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पड़ने की पूर्ण आशका है। इस कारण उक्त साबिक नम्बरान की हाल आराजी नम्बर 8920 आठ हजार नौ सौ बीस को वादीगण के नाम राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज किया जाना कानूनन अति आवश्यक हो गया है तथा वादीगण के पक्ष में उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार होने की घोषणा सार्वभौमिक तौर पर करवाया जाना अति आवश्यक है। राजस्व रेकॉर्ड मृत्तक काना उर्फ किशना के नाम दर्ज रेकॉर्ड होने से वादीगण वित्तिय सस्थान से ऋण लेने से महरूम हो रहे है तथा निकट भविष्य में उक्त इन्द्राज से वादीगण के हक व अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका है, जबकि वादीगण के पिता वर्ष 1954 से उनके जीवनकाल में वो काबिज रहे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। इस प्रकार वादीगण उपरोक्त आराजी के खातेदार काश्तकार है तथा उक्त आशय की घोषणा कराने के अधिकारी है एवं इस बावत् राजस्व रेकॉर्ड में अकन कराने के अधिकारी है।

वर्तमान समय में हाल आराजी संख्या 8920 के चारो तरफ डोल लगा हुआ होकर थोर समे हुए है तथा खरीद दिनाक के बाद से उक्त भूमि को काबिल काश्त वादीगण द्वारा काफी शारीरिक श्रम व अर्थ खर्च करके बनाया है लेकिन माली कागजात ने उपरोक्त आराजियात वादीगण के नाम पर दर्ज नहीं होने से माह अक्टूबर 2006 में वादीगण ने पटवार हल्का से अपने खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 8920 आठ हजार नौ सौ बीस की नकल हेतु आवेदन किया गया तो पटवार हल्का पुर द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यो के बारे में जानकारी दी व वादीगण को यह भी धमकी दी गई की वादीगण उक्त आराजी पर बिना किसी हक व अधिकार के काबिज है जिसे हटवाये जाने की कार्यवाही की जायेगी

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

इससे वादीगण को यह आशंका उत्पन्न हो गई है कि प्रतिवादीगण अपने प्रशासनिक शक्ति बल पर किसी भी समय वादीगण को बेदखल कर विवादग्रस्त आराजियात में निहीत खातेदारी हक व अधिकारों से महरूम कर देंगे जिससे वादीगण को अत्यधिक कठिनाई होगी तथा वाद में जटिलता उत्पन्न हो जायेगी व कई वादो का जन्म होगा इस कारण से वादीगण के लिए यह अतिआवश्यक हो गया है कि विवादग्रस्त आराजी से वादीगण को बेदखल नहीं करने एवं उनके कब्जे काश्त में बाधा व हस्तक्षेप उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा पारित किया जाना अति–आवश्यक है।

मुताबिक विक्रयपत्र दिनांक 30–07–1054 से वादीगण के पिताध्यति जब तक वो जीवित रहे तथा उनके सौ वर्ष के बाद हाल आराजी संख्या 8920 आठ हजार नौ सौ बीस रकबा 09 नौ बीघा 18 अठारह बिश्वा पर अबाध्य एवं निरन्तर तौर पर काबिज चले आ रहे है तथा उक्त आधिपत्य तत्कालीन खातेदार काना उर्फ किशना वल्द धन्ना धोबी द्वारा विक्रय करने के पश्चात् भी काना लगभग जान में था तथा श्री काना वल्द धन्ना धोबी द्वारा विक्रय करने के पश्चात् भी काना लगभग दस वर्ष तक जिन्दा रहे किन्तु स्व० श्री काना ने चूँकि उनके द्वारा विक्रय कर दिये जाने से वादीगण के आधिपत्य बाबत् कभी कोई ऐतराज नहीं किया और न ही स्व० काना जी की मृत्यु के बाद अन्य किसी वारिस ने कोई आपत्ति व ऐतराज किया। इस प्रकार उक्त आराजी पर वादीगण का विगत काफी समय से यानि बीस वर्ष से भी अधिक समयावधि से कब्जा चला आ रहा है। अतः कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी हो गए है।

प्रस्तुत वाद से पूर्व प्रतिवादीगण को वादीगण के खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती हेतु वादीगण द्वारा विधिवत दो माह का नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सि.प्र.स. दिनांक 01–11–2006 एक नवम्बर दो हजार छः को प्रेषित किया गया जो कि प्रतिवादीगण को दिनांक 03–11–2006 तीन नवम्बर दो हजार छः को प्राप्त हो चुका है किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा नोटिस पर अन्दर अवधि दो माह में कोई अमल नहीं करने से बाद प्रस्तुत करने की नौबत पेश हुई है।

कारण वाद माह अक्टूबर 2006 एवं दिनांक 01–11–2006 एवं दिवा 03–11–2006 व इसके बाद दो माह यानि की दिनांक 03–01–2007 तीन जनवरी दो हजार सात से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

वादीगण ने अपने कथनो की ताईद में प्रदर्श–3 जमाबन्दी संवत् 2014 से 2017 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्शित करवाई है जिसमें विवादित भूमि साबिक खसरा नम्बर की खातेदारी काना पुत्र धन्ना धोबी के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा प्रदर्श–4 जमाबन्दी संवत् 2061 से 2064 की प्रमाणित प्रतिलिपि है जिसमें विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 8920 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा की खातेदारी किशना पि० धन्ना धोबी साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श–11 लगायत 13 लगान जमा कराने की रसीदात असल है जो काला पि० धन्ना धोबी के नाम की है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है कि विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काना उर्फ किशना पुत्र धन्ना धोबी था जिसको अपनी खातेदारी की भूमि को विक्रय करने का विधिक अधिकार प्राप्त था और उसने अपने विधिक अधिकारो का प्रयोग करते हुए विवादित भूमि को प्रदर्श– विक्रय पत्र दिनांकित 30.07.1954 के जरिये वादीगण के स्व० पिताध्यति श्री रामकरण जी वल्द जगन्नाथ जी पारीक को विक्रय कर बापी हक से विक्रय कर दी थी तथा विक्रयपत्र में यह शर्त भी तय हुई की कुलिया विक्रय मूल्य रूपये 95 अक्षरे पिच्यानवे रुपये में से रुपये 27/– अक्षरे सताईस रुपये तत्समय रहन, मुर्द बिल कब्ज श्री मांगु वल्द किशोर धोबी को रहन राशि अदा करनी थी तथा विक्रय मूल्य की बकाया राशि रूपये 68/– अक्षरे अड़सठ रुपये काना उर्फ किशना वल्द

15/3/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

...ना धोबी को सप्रतिफल अदा करने थे जो मुताबिक शर्त कर दिये गये थे। उक्त विक्रय ...प्रदर्श-1 में विवादित भूमि की प्रतिफल राशि 95/- रूपये निर्धारित है तथा भारतीय ...जीयन अधिनियम की धारा 18 के अनुसार 100/- रूपये से कम की अचल सम्पत्ति के ...क्रय पत्र का पंजीयन अनिवार्य नहीं है बल्कि ऐच्छिक है, इसलिये उक्त विक्रय पत्र साक्ष्य ...में ग्राह्य है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण के स्व० पिता/पति रामकरण वल्द ...गन्नाथ पारीक विवादित आराजीयात का बोनाफाईड परचेजर सदभाविक क्रेता है। ...वादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की है जिसमें भी वादीगण के बाद पत्र के तथ्यो की ताईद की गई है।

जहाँ तक प्रश्न प्रतिवादीगण की ओर से अपने जवाबदावा में प्रस्तुत कथन एंव साक्षी डी०डब्ल्यु-1 के बयानो का है जिसमें उन्होंने कथन किया कि उक्त आराजीयात वादी अनुसार भी किशना वल्द धन्ना धोबी निवासी पुर के नाम दर्ज रिकार्ड थी जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य था। रहन भी मांगु पि० किशोर धोबी निवासी पुर ने अनु० जाति के थी। अनुसूचित जाति की जमीन का विक्रय सामान्य वर्ग के व्यक्ति को किया गया है। विक्रय नामा की मान्यता स्वंय वादी सिद्ध करावे। आराजी नम्बर 8920 रकबा 9.18 बीघा काना उर्फ किशना धोबी खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिस पर किसी भी स्वर्ण जाति का कब्जा भी नाजायज ही है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत कथनो के संबंध में हमारी विनम्र राय में **राजस्थान टिनेन्सी. एक्ट, 1955 की धारा 42 में दिनांक 01.05.1964 से संशोधित किये जाने से पूर्व सम्पादित विक्रय पत्र या करार प्रारम्भ से शुन्य नहीं है। संशोधन भूतलक्षी न होकर भविष्यलक्षी है। संशोधित धारा 42 तो 1964 से लागु हुई। इस मामले में जहां भूमि का अन्तरण 1954 में हो चुका था, 1954 में हुए अन्तरण पर यह धारा लागु नहीं होती।**

विद्वान अभिभाषक वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 1994 पेज 98 अपील नम्बर 70/1993 माधू व अन्य बनाम पन्ना व अन्य में माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया कि–Rajasthan Tenancy Act& Section 42& The prohibition against sale of land belonging to Scheduled Tribes to person of non&Scheduled Caste or non&Scheduled Tribe came on 01&05&64& Therefore, a sale deed dated 24&02&61 is not hit by this Section and the sale is not liable to be set aside.

इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 1993 पेज 263 डी.बी. सिविल रिट पिटिशन नम्बर 851/1981 रतनलाल बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यु व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया कि Rajasthan Tenancy Act& Section 42& Purchase of agriculture land by non-S-C- member (petitioner) from S-C- member made in year 1958& Mutation effected is the name of petitioner in year 1957) i-e- after coming into force of S-42 of Tenency Act) on the basis of said purchase and possession of land&Held, provisions of S- 42 not violated and Tehsildar not erred is allowing said mutation.

इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 1985 पेज 98 एस.बी. सिविल रिट पिटिशन नम्बर 30/1976 सुवालाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया कि– Rajasthan Tenancy Act& Section 42& Amendment Sec- 42 in 1964] not retrospective and as such transfer of Agirculture land by scheduled caste tenant to non&scheduled caste tenant prior to amendment, vailid.

सहायक कलक्टर
भीलवाडा

उक्त धारा 42 में दिनांक 01.05.1964 को किये गये संशोधन के आधार पर तथा उक्त वर्णित न्यायिक दृष्टान्तो में प्रतिपादित सिद्धान्तो के आधार पर प्रदर्श–1 बैचान पत्र दिनांकित 30.07.1954 पूर्णतया वैध है जो कत्तई अवैध नहीं है। इस प्रकार वादीगण तनकी नम्बर 2, 3 व 4 को अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया सफल रहे है तथा प्रतिवादीगण तनकी नम्बर 5 को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है।

तनकी नम्बर–6 दादरसी क्या होगी– उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित होता है कि वादी द्वारा ग्राम पुर की वादग्रस्त भूमि साबिक आराजी नम्बर 3987, 3988, 3889 कुल किता 03 कुल रकबा 13–12 बीघा भूमि के हाल आराजी नम्बर 8920 रकबा 09–18 बीघा को वादीगण के पिता द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व क्रय कर लिये जाने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42(बी) का प्रावधान लागु नहीं होता है। साथ ही वादीगण के पिता द्वारा वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र 100/– से कम की मालियत का होने से भारतीय पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 18 के अन्तर्गत पंजीयन करवाया जाना बाध्यकारी नहीं होने से वादीगण वादग्रस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। अतएव्

–:: आदेश ::–

वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा की हाल आराजी संख्या 8920 रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज खातेदार का नाम विलोपित करते हुए तद्नुसार राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्ती करने हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को तहरीरी आदेश जारी हो। पक्षकारान् खर्चा मुकदमा अपना–अपना वहन करे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/5/25 को सरे इजलास में सुनाया गया। 15/5/25

(अरूण कुमार जैन)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:– अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)
राजस्व मूल वाद संख्या 29 / 2020 (102 / 2007)
जीसीएमएस नम्बर–2020 / 00057

उनवान

1. कालुलाल पारीक आत्मज स्व० श्री रामकरण जी पारीक निवासी पुर तह व जिला भीलवाडा (राज.)
2. श्रीमति गलकु देवी पारीक पत्नि स्वः श्री रामकरण जी पारीक निवासी पुर तह० व जिला भीलवाडा (राज) (मृतका दौराने दावा नाम हजफ)
3. श्रीमति रिद्धी देवी पत्नि श्री श्यामसुन्दर जी पण्डित निवासी 163, केम्प, सदर बाजार अहमदाबाद (गुजरात)
4. श्रीमति रतन देवी पत्नि श्री रमेशचन्द पुरोहित निवासी ग्राम भाणपी पोस्ट सांडास तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ़ (राज)
5. श्रीगति मंजू देवी पत्नि श्री कृष्णगोपाल जी पारीक निवासी सुख सागर सुभाष नगर स्कूल के सामने, सुभाष नगर, भीलवाडा तह० व जिला भीलवाड़ा।
6. श्रीमति हर्षा पारीक पत्नि श्री सत्यनारायण पारीक निवासी के ओ रामप्रसाद जी पारीक, एडवोकेट, पुराने मतस्य विभाग के पास, सुभाष नगर, भीलवाडा (राज)

–– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश महोदय, भीलवाडा (राजः)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाडा (राज)

–– प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

अर्न्तगत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कत्तई रूबरू दावा व हाजिरी ..... मिनजानिब मुद्धई रूबरू ..... मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा की हाल आराजी संख्या 8920 रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज खातेदार का नाम विलोपित करते हुए तद्नुसार राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्ती करने हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को तहरीरी आदेश जारी हो। पक्षकारान् खर्चा मुकदमा अपना–अपना वहन करे।

15/7/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

निज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमा के मय सूद बशरह शून्य फीसदी सालाना/आज की तारीख से तारीख अदायगी को तक शून्य को अदा करे।

तब मेरे दस्तखत मुहर अदालत के आज दिनांक 15/5/25 को जारी की गई।

(अरूण कुमार जैन)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर,
भीलवाड़ा

मुद्धई	रूपया	पैसे	मुद्धई	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा	-	-	स्टाम्प अर्जीदावा	-	-
स्टाम्प वकालतनामा	-	-	स्टाम्प वकालतनामा	-	-
स्टाम्प वजह सबूत	-	-	स्टाम्प वजह सबूत	-	-
महनताना वकील	-	-	महनताना वकील	-	-
खर्चा गवाहान	-	-	खर्चा गवाहान	-	-
फीस कमिशनर बाबत् इजराय	-	-	फीस कमिशनर बाबत् इजराय	-	-
हुक्मनामा	-	-	हुक्मनामा	-	-
मुतफरिक	-	-	मुतफरिक	-	-
मीजान	-	-	मीजान	-	-

15/5/25
(अरूण कुमार जैन)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा